केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में गठित राज्य स्तरीय समिति की दिनांक 3.1.2004 को संपन्न बैठक का कार्यवाही विवरण

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.), आई.सी.एस.ई., नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक शिक्षा सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 3.1.2004 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया:--

1. श्री एस.के. [illegible], निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
2. श्री सी.पी. शुक्ला, उप शासन सचिव, शिक्षा ([illegible])
3. श्री [illegible] व्यास, उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग
4. श्री ओंकार सिंह, उपनिदेशक (मु0), शिक्षा विभाग

बैठक में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली/आई.सी.एस.ई. से सम्बद्धता के संबंध में प्राप्त 21 प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। विभाग द्वारा निर्धारित नीति के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावों का परीक्षण कर निम्नलिखित 10 विद्यालयों को पूर्व में [illegible] निर्णय के परिप्रेक्ष्य में लम्बित रखे गये थे, को उनके आगे वर्णित सत्र एवं माध्यम से इस शर्त पर सम्बद्धता प्राप्त करने के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का निर्णय लिया गया कि ये विद्यालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली/आई.सी.एस.ई. नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूर्ण करेंगे:--

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	सत्र	माध्यम
1.	मारवाड़ [illegible] मॉडल सैकण्डरी स्कूल, पावर हाउस के पास, कुम्भानगर सिटी (चित्तौड़)	2004-2005	हिन्दी
2.	[illegible] सीनियर सैकण्डरी स्कूल, विजय [illegible] रोड, अजमेर	2004-2005	अंग्रेजी
3.	सेंट पॉल सैकण्डरी स्कूल, [illegible]नगर, आबूरोड, सिरोही (आर.सी.एम.ई.)	2004-2005	अंग्रेजी
4.	[illegible] मिशन सीनियर सैकण्डरी स्कूल, [illegible] रोड, पाली	2004-2005	अंग्रेजी
5.	सेंट पैट्रिक्स विद्या भवन [illegible], उम्मेद स्टेडियम के पास, जोधपुर	2004-2005	अंग्रेजी
6.	[illegible]	2004-2005	हिन्दी
7.	के.डी. जैन सैकण्डरी मॉडल स्कूल, मदनगंज किशनगढ़, अजमेर	2004-2005	अंग्रेजी
8.	सेन्ट [illegible] पब्लिक स्कूल, [illegible] रोड, श्रीगंगानगर	2004-2005	अंग्रेजी
9.	सेन्ट्रल पब्लिक सी. सैकण्डरी स्कूल, न्यू भूपालपुरा, उदयपुर	2004-2005	अंग्रेजी
10.	[illegible] विद्यालय, विज्ञान नगर, कोटा	2004-2005	अंग्रेजी
11.	[illegible] नगर, जयपुर	2004-2005	अंग्रेजी

12	[illegible] हाऊस पब्लिक स्कूल, 47 जय जवान कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर	[illegible]–2005	अंग्रेजी
13	[illegible] पब्लिक स्कूल, [illegible], मानसरोवर, जयपुर	[illegible]–2005	अंग्रेजी
14	[illegible] सीनियर माध्यमिक विद्यालय, 6/4 मील, टोंक रोड, जयपुर	[illegible]–2005	अंग्रेजी
15	[illegible] पब्लिक एकेडमी, पाली	[illegible]–2005	अंग्रेजी
16	[illegible], जयपुर	2004–2005	हिन्दी
17	इम्मानुएल [illegible] स्कूल, अजमेर रोड, मदनगंज–किशनगढ़, अजमेर	[illegible]–2005	अंग्रेजी
18	[illegible] अस्पताल के पास, [illegible] रोड, अजमेर	[illegible]–2005	अंग्रेजी
19	श्री [illegible] माध्यमिक विद्यालय, [illegible] (अजमेर)	2004–2005	अंग्रेजी

दो विद्यालयों [illegible] लिटिल एंजिल्स स्कूल, [illegible] सदानाडा, जोधपुर एवं विद्यानिकेतन सोसायटी, उदयपुर के प्रस्तावों पर विचार किया गया। इन विद्यालयों की ऑडिट रिपोर्ट एवं विद्यार्थी संख्या की कमी तथा निदेशालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्पष्ट अभिशंषा नहीं होने के कारण समिति ने इन विद्यालयों के प्रस्तावों का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं करने का निर्णय लेते हुये इन विद्यालयों की कमियों की पूर्ति करवाकर इनके प्रस्ताव आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया।

बैठक में शिक्षा सचिव महोदय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि गैर सरकारी विद्यालयों को [illegible] माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने वाले विद्यालय के लिये भी समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जावे। उन्होंने यह भी चाहा है कि कार्यक्रम इस प्रकार से बनाया जावे ताकि 31 मार्च [illegible] जारी करने से [illegible] में सफलता का सूचित किया जा सके ताकि वे आगामी शैक्षणिक सत्र से विद्यालय प्रारम्भ करने/ नहीं करने के सम्बंध में निर्णय कर सकें। इस सम्बंध में बैठक में यह अवगत कराया कि विभाग द्वारा पूर्व में ही [illegible] कलेण्डर तैयार कर निदेशालय स्तर से दिनांक 14.10.2003 को प्रसारित कर दिया गया है। इस संबंध में शिक्षा सचिव महोदय द्वारा निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को निर्देश प्रदान किये कि विद्यालयों का निरीक्षण करवा कर निदेशालय की अभिशंषा के साथ प्रस्ताव राज्य सरकार को दिनांक [illegible].3.2004 तक प्रेषित कर दिए जावें तथा राज्य सरकार द्वारा इन प्रस्तावों पर 15.3.2004 तक निर्णय ले लिया जावे। शिक्षा सचिव महोदय ने राज्य स्तरीय समिति की आगामी बैठक मार्च 2004 के द्वितीय/ तृतीय सप्ताह में आयोजित करने के निर्देश प्रदान किये।

[illegible] में बैठक धन्यवाद समाप्त हुई।

[illegible] सचिव, शिक्षा (प्रथम)

राजस्थान सरकार
शिक्षा [illegible] विभाग

क्रमांकः प० 14[illegible]शिक्षा–1/99/पार्ट–I जयपुर, दिनांकः[illegible]

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, शिक्षा सचिव।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राज0, बीकानेर।
4. रक्षित पत्रावली।

[illegible] सचिव, शिक्षा[illegible]

Si Meena
PRINCIPAL
Saint Patrick's Vidya Bhawan
Senior Secondary School
JODHPUR (Raj.)

Scanned with CamScanner